अशोक कुमार चौधरी

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2223804
Fax : 0612-2222085

(141)

सत्यमेव जयते

पत्र स-3/आर1-178/03-का0 2271/
दिनांक 2 जुलाई, 2007

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में सरकारी सेवकों की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों में से एक को राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। इस संदर्भ में समय-समय पर इस विभाग द्वारा अनुदेश निर्गत् किये गये हैं। ज्ञातव्य है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा तीन रिट याचिकाओं में दिनांक-7.12.94 को पारित समेकित आदेश के अनुपालन में निर्गत् इस विभाग के पत्रांक-2822, दिनांक-27.4.95 की कंडिका-3(ख) के अनुसार जिला अनुकम्पा समिति द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के अहर्ता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु, मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही वरीयता सूची तैयार की जानी है और रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को समिति द्वारा नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित किया जाना है। इस अनुदेश के अनुसार, रिक्ति की उपलब्धतानुसार, मृत्यु की तिथि की वरीयता के आधार पर, किसी कार्यालय के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की नियुक्ति हेतु अनुशंसा दूसरे अन्य कार्यालय को भेजी जा सकती है। परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि मृत सरकारी सेवक के पैतृक विभाग में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अन्य विभाग, जहाँ रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, को अनुशंसा भेजे जाने पर उक्त विभाग रिक्ति का अभाव दिखाकर अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं करते हैं। इसके फलस्वरूप संबंधित आश्रित को क्षोभ होता है और न्यायालय में वादों की संख्या भी बढ़ती है।

अतः यह निदेश दिया जाता है कि जिन विभागों/कार्यालयों में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं है, उन विभागों/कार्यालयों के मृत कर्मी के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अन्य विभाग/कार्यालय, जहाँ रिक्तियाँ हैं, को अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त होने पर आवेदक आश्रित की योग्यतानुसार नियुक्ति वांछनीय होगी, बशर्ते कि रिक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचित नहीं हो। अधियाचित रिक्तियों से भिन्न रिक्तियाँ उपलब्ध रहने के बावजूद नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई करने में टालमटोल करने वाले नियोक्ता/सक्षम पदाधिकारी के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

अशोक कुमार चौधरी 2/7/07

(अशोक कुमार चौधरी)